

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक झालावाड

Email-id-deoole.jwr447@gmail.com

Fax/phone-07432-232283

कमांक-जिलेअ/प्राप्ति/झा/मान्यता/12/०५/८६

दिनांक- ३१-४-२०११

प्रबन्धक- निःशुल्क संस्कृत एवं संस्कृत एवं संस्कृत एवं संस्कृत

मार्गों पर उन्नालारापाट्टन

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

1 APR 2010 31 MAR 2013

आपके दिनांक 31-४-२०११ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निश्चय के प्रतिनिर्देश से मैसेज़ संकलन उपलब्ध है। जिसको दिनांक \_\_\_\_\_ से दिनांक \_\_\_\_\_ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए उत्तीर्ण मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

- 1.मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांध 2) के उपांधकों का पालना करेगा।
- 3.विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4.पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपांधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा, ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5.सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6.विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7.विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

  - (a)प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में प्रवेश में अनुलीण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
  - (b)किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (c)प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (d)प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम -23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण -पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (e)अधिनियम के उपांधों के अनुसार निःशक्तता प्रस्तृ/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा।
  - (f)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा - 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
  - (g)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करें।
  - (h)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करें।
  - 8.विद्यालय समृद्धि प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - 9.विद्यालय अधिनियम की धारा -19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविद्याओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
  - 10.विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
  - 11.विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
  - 12.विद्यालय भवनों/अन्य संरचनाओं या कीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जावेगा।
  - 13.विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा/ राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा बदलाया जा रहा है।
  - 14.विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बदलाया जा रहा है।
  - 15.विद्यालय के लेखों की चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए।
  - 16.आपके विद्यालय को आवंटित मान्यतां कोड कमांक. १२८/१२८/१२८/१२८/१२८/१२८ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें। [३०२-६-२०१०]
  - 17.विद्यालय, ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान वीकानेर /जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कामियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
  - 18.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यादि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

मार्गों पर उन्नालारापाट्टन  
विद्यालय